फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

<table>
<tr><td>तारीख हुक्म</td><td>हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज
अपील संख्या 64/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/67)
श्री कालुलाल बगौरा व अन्य बनाम तहसीलदार राजसमंद व अन्य</td><td>नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</td></tr>
<tr><td>14.1.2025</td><td>उपस्थिति दौराने बहसः-
1. श्री सम्पतलाल बोहरा, संजय बोहरा - वकील अपीलार्थी
2. श्री शेषमल गाडरी - वकील प्रत्यर्थी-3,4,5,8
3. श्री मुरलीधर पालीवाल, राजकीय पेरोकार - वकील प्रत्यर्थी-1
4. सुश्री प्रमोदनी बक्षी - वकील प्रत्यर्थी-2
अनवान
1. श्री कालूलाल पिता स्व. श्री गोटूलाल बागोरा (पालीवाल), निवासी संतोष टेंट हाऊस के पीछे, जे.के. मोड, स्टेशन रोड़, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द।
2. श्री जमनालाल पिता स्व. श्री गोटूलाल बागोरा (पालीवाल), निवासी बालाजी वाटिका के सामने छतरिया, भीलवाड़ा रोड़, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द।
3. श्री देवीलाल पिता स्व. श्री गोटूलाल बागोरा (पालीवाल), निवासी बालाजी वाटिका के सामने छतरिया, भीलवाड़ा रोड़, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द।
4. श्री मांगीलाल पिता स्व. श्री परसराम बागोरा (पालीवाल), निवासी पंजाब नेशनल बैंक के सामने वाली गली, जे.के. मोड, स्टेशन रोड़, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द।
अपीलार्थी
बनाम
1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, राजसमन्द, तहसील राजसमन्द, जिला राजसमन्द।
2. नगर परिषद् राजसमन्द जरिये आयुक्त, नगर परिषद्, राजसमन्द।
3. श्री भंवानीशंकर उर्फ भानू पिता स्व. श्री हरिकिशन बागोरा (पालीवाल), निवासी पंजाब नेशनल बैंक के सामने वाली गली, जे.के. मोड, स्टेशन रोड़, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द।
4. श्री नन्दलाल पिता स्व. श्री हरिकिशन बागोरा (पालीवाल), निवासी पंजाब नेशनल बैंक के सामने वाली गली, जे.के. मोड, स्टेशन रोड़, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द।
5. श्री अशोक पिता स्व. श्री हरिकिशन बागोरा (पालीवाल), निवासी सदर बाजार, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द।
6. श्री नारायणलाल पिता स्व. श्री नवलराम बागोरा (पालीवाल), निवासी सदर बाजार, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द।
7. श्री जगदीश पिता स्व. श्री परसराम बागोरा (पालीवाल), निवासी संतोष टेंट हाऊस के पीछे, जे.के. मोड, स्टेशन रोड़, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द।
8. श्री शांतिलाल पिता श्री परसराम बागोरा (पालीवाल), निवासी सदर बाजार, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द।
9. श्रीमती कमला देवी पत्नि स्वं. श्री शंकरलाल बागोरा (पालीवाल), निवासी सदर बाजार, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द।
10. श्री महेश पिता स्वं. श्री शंकरलाल बागोरा (पालीवाल), निवासी सदर बाजार, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द।
11. सुश्री तारा पिता स्वं. श्री शंकरलाल बागोरा (पालीवाल), निवासी सदर बाजार, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द।
12. सुश्री नीतू पिता स्वं. श्री शंकरलाल बागोरा (पालीवाल), निवासी सदर बाजार, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द।
13. सुश्री पूजा पिता स्वं. श्री शंकरलाल बागोरा (पालीवाल), निवासी सदर बाजार, कांकरोली, तहसील व जिला राजसमन्द।
प्रत्यर्थी

प्रकरण संख्या-29/2016 बउनवानी श्री कालुलाल बनाम तहसीलदार, राजसमन्द व अन्य में न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.04.2018 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा-76 भू-राजस्व अधिनियम 1956

<u>निर्णय</u>

दिनांक 14.01.2025

उक्त अपील अपीलान्ट द्वारा न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमन्द द्वारा प्रकरण संख्या-29/2016 बउनवानी श्री कालुलाल बनाम तहसीलदार, राजसमन्द व अन्य में</td><td></td></tr>
</table>

फर्द अहकाम

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज अपील संख्या 64/2023 राजस्व (जीसीएमएस/2023/67) **श्री कालुलाल बगौरा व अन्य बनाम तहसीलदार राजसमंद व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पारित निर्णय दिनांक 19.04.2018 के विरुद्ध पेश की गई है। प्रकरण के तथ्य निम्न प्रकार है- ● वर्तमान अपील के अपीलार्थीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय समक्ष न्यायालय तहसीलदार राजसमन्द के नामान्तरकरण संख्या 126 दिनांक 05.04.1977 के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के पेश की। न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा उक्त अपील मयाद बाहर होने से अस्वीकार की मयाद के बिन्दु पर निरस्त करते हुए निर्णय दिनांक 19.04.2018 पारित किया। न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद द्वारा उक्त निर्णय से व्यथीत होकर हस्तगत अपील न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर हाजा समक्ष अन्दर मयाद प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत अपील दर्ज रजिस्टर हुई। तत्पश्चात क्षेत्राधिकार परिवर्तन आदेश की अनुपालना में उक्त पत्रावली न्यायालय हाजा हो स्थानन्तरित की गई। पक्षकारान/अधिवक्तागण को तद्नुसार सूचित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। दिनांक 10.01.2025 को उभय पक्ष के अधिवक्तागण मय पक्षकारान (फर्द अहकाम पर अंकित हस्ताक्षरानुसार) द्वारा एक राजीनामा प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि पक्षकारान पारिवारिक विभाजन अनुसार भूमि पर काबिज होकर उपयोग उपभोग कर रहे, उसी अनुसार भूमियों को राजस्व रेकार्ड में अंकित कराने हेतु सभी पक्षकारान सहमत है। नजरी नक्शे अनुसार भूमि का विभाजन कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज करने हेतु तहसीलदार राजसमंद को आदेशित किया जाकर भूमियों को रेकार्ड में दर्ज कराने हेतु आदेश पारित फरमाया जावें। अधिवक्ता प्रत्यर्थी एवं उपस्थित प्रत्यर्थीगण द्वारा सहमति स्वरूप फर्द अहकाम एवं राजीनामा पर अपने हस्ताक्षर अंकित किये है। हमने उभय पक्षों के उपस्थित अधिवक्तागण की प्रस्तुत बहस पर मनन किया तथा प्रस्तुत प्रार्थनापत्र एवं पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन एवं मूल्यांकन किया। उभयपक्षों के मध्य राजीनामा हो जाने के कथन एवं आदेश 23 नियम 1, 2 व 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधानों के मद्देनजर रखते हुए हम यह उचित समझते है कि अपील के गुणावगुणों पर किसी प्रकार का विवेचन किये बिना जिला कलक्टर, राजसमंद का निर्णय दिनांक 19.04.2018 निरस्त किया जाकर मूल प्रकरण न्यायालय तहसीलदार, राजसमंद को राजीनामा की वैधानिकता की जांच कर पुनः विधि सम्मत् निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित समझते है। प्रकरण तहसीलदार, राजसमंद को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वह पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामा के प्रार्थनापत्र दिनांक 10.01.2025 की वैधानिकता की जांच कर पुनः विधिसम्मत् निर्णय पारित करें। उक्त विवेचन के परिणामस्वरूप यह अपील पक्षकारान के मध्य राजीनामा हो जाने से राजीनामा के आधार पर निर्णित की जाती है। निर्णय की प्रति के साथ राजीनामा प्रार्थना-पत्र की मूल प्रति तहसीलदार, राजसमंद को भिजवायी जावे। पत्रावली बाद इन्द्राज आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में नियमानुसार भेजी जावे। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया। (सी.आर.देवासी) R.A.S. अति.संभागीय आयुक्त, उदयपुर	